न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला–टोंक

पीठासीन अधिकारी डॉ. एल.एन. बुनकर (आर.ए.एस.)

दावा संख्या– 71/2019
वाद प्रस्तुति दिनांक :–02.07.2019
निर्णय दिनांकः– 17.10.2019

उनवान

शंकर पुत्र नाथूलाल जाति–खाती निवासी ग्राम–रहीमपुरा उर्फ नयागांव तह0–पीपलू जिला–टोंक

वादी

बनाम

1. भैरूलाल पुत्र नाथू जाति–खाती निवासी ग्राम–रहीमपुरा उर्फ नयागांव तह0–पीपलू जिला–टोंक
2. तहसीलदार, पीपलू जिला–टोंक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात
अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

अधिवक्ता वादीः– श्री कैलाश चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादीगणः– श्री राजराम चौधरी

निर्णय दिनांकः–17.10.2019

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार पीपलू से दिनांक 12.07.2019 को चाही गई तकास्मा रिपोर्ट दिनांक 09.10.2019 को दो–दो प्रतियों में पेश की जा चुकी है। जो शामिल पत्रावली हैं।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पक्षकारान की बहस सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट पर पक्षकारान् के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी हैं। न्यायालय में उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हैं। अधिवक्तागण श्री कैलाश चौधरी एवं श्री राजाराम चौधरी ने तकास्मा रिपोर्ट से सहमत होते हुए तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया हैं।

अतः दावा बाबत् तकास्मा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट आराजी ख0न0 601/3 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 29/1 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, ख0न0 601/5 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ नयागांव, पटवार हल्का–नानेर, भू0अ0नि0–नानेर तह0–पीपलू , जिला–टोंक की भूमि प्रतिवादी भैरूलाल पुत्र नाथूलाल कोम खाती निवासी रहीमपुरा उर्फ नयागांव के नाम रहेगी। आराजी ख0न0 601/2 रकबा 10 बिस्वा, ख0न0 601/4 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 29/2 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ नयागांव, पटवार हल्का–नानेर, भू0अ0नि0–नानेर तह0–पीपलू , जिला–टोंक की भूमि वादी शंकर पुत्र नाथूलाल कोम खाती निवासी रहीमपुरा उर्फ नयागांव के नाम रहेगी। ख0न0 601/1 रकबा 02 बिस्वा वाके ग्राम रहीमपुरा उर्फ नयागांव , पटवार हल्का–नानेर, भू0अ0नि0–नानेर, तह0–पीपलू जिला–टोंक की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–01 के नाम संयुक्त रूप से रहेगी। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न भाग हैं। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं नक्शा शीट तकास्मा अनुसार तरमीम करें। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हों। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(डॉ. एल.एन. बुनकर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)